

**कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

E-mail: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

**पत्रांक-७४५ /FP/UK/ROAD/37053/2018 :देहरादून: दिनांक: १० सितम्बर, 2022**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,  
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

**विषय:-** जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत पक्षाधार चौरपाल मोटर मार्ग से नैनी जागेश्वर वाया सेरागढ़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.94 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

**संदर्भ:-** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक-०८बी/यू०सी०पी०/०६/९१/२०२०/एफ०सी०/५०४ दिनांक:-०५.०८.२०२१

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 805/12-1(2) दिनांक 07.09.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क्र. सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आव्याय
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	<b>प्रतिपूरक वनीकरण :</b> (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 11.88 है० सिविल सौयम भूमि ग्राम कुन्तोला खसरा संख्या- 1144, 1145, 1149, 1196, 1215, 1218, 1268 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रतातियों की एकल कृषि से बचें।	(क) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 11.88 है० सिविल सौयम भूमि ग्राम कुन्तोला खसरा संख्या 1144, 1145, 1149, 1196, 1215, 1218, 1268 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा एवं स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाते हुये मिश्रित वृक्षारोपण किया जायेगा।
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बार एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत	(ख) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुनी भूमि 11.88 है० सिविल सौयम भूमि को जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के आदेश दिनांक 30-06-2022 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरित एवं नामान्तरित कर दिया गया है। सम्बन्धित आदेश की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1) उक्त वन भूमि को आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा

में  
यी  
ता

ता  
लन

ज्ञान  
गालन

	<p>किये गये है को वन विभाग के पक्ष तें हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।</p>	रहा है। (संलग्नक-2)
	<p>(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।</p>	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
4	<p>प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेग। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कर्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।</p>	प्रभागीय वनाधिकारी के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु यथोचित धनराशि रु० 44,06,315.00 कैम्पा खाते में चालान के माध्यम से जमा की जा चुका है। (संलग्नक-3)
5	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य</p> <p>(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या-202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक-5-1/1998- एफ०सी० (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ० सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 5.94 हेठो वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p> <p>(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (क) के अनुपालन में एन०पी०बी० की देय धनराशि रु० 3902580.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा, कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-3 के अनुसार)</p> <p>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन०पी०बी० की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है बढ़ी हुयी एन०पी०बी० की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)</p>
6	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 125 से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।</p>	<p>वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।</p>
7	<p>परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<a href="http://parivesh.nic.in">http://parivesh.nic.in</a>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना</p>	<p>वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।</p>

प्राधिकरण फंड में रथानतरित/जमा किया जाएगा।	
8	गाईडलाइन्स में दिये गये दिशा-निर्देशों के पैरा-11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।
9	एफ0आरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जाएंगे।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेंगा।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले—आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर रथापित नहीं किया जाएगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।
16	सम्बन्धित वन मण्डल वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्तिको हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-एफ0सी० दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
25	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="http://parivesh.nic.in">http://parivesh.nic.in</a> ) पर अपलोड की जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयाक्ति प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही करने पर विचार करने का कष्ट करें।


संलग्नक—यथोपरि।

संख्या—८४/FP/UK/ROAD/37053/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, वेरीनाग।

भवदीय,  
 (एस०एस० रसाईली)  
 अपर प्रमुख वन संरक्षक  
 एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
 उत्तराखण्ड, दृह्गदून।

  
 (एस०एस० रसाईली)  
 अपर प्रमुख वन संरक्षक  
 एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
 उत्तराखण्ड, दृह्गदून।

